FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0022 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/02/2024 19:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/02/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/02/2024 19:10:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 4 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** Office Matesya Deptt. Jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Suraj Kumar Gupta

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Banwari saha

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	F307, Secoter Alfa 02, Gretar Noayda, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201310, INDIA
2	स्थायी पता	F307, Secoter Alfa 02, Gretar Noayda, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201310, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9810278771

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Premsukh Bishnoi		पिता:Mohan Lal Bishnoi	1. 401, 402 C 139,Bapu Nager,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
2	Rakesh Dev		पिता:Heeralal Dev	1. 103/71,Secoter 10,BK Tapri,Partap Naer sananer,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 08.01.2024 को उच्चाधिकारियों के मार्फत परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता ने मन् निरीक्षक पुलिस को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि " सेवामें, श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय (ACB) जयपुर (राजस्थान) विषयः रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं सूरज कुमार पुत्र स्व. बनवारी साह, जाति-बनिया, उम्र-49 वर्ष, निवासी एफ 307, सैक्टर-अल्फा 02, ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. 201310 हूं। मेरा मछली पालन का व्यवसाय है। जिसे राजस्थान सरकार से आंवटित डैम में होता है। मेरा नाम से बंध इंद्राणी, जिला-बुंदी का ठेका है। और मेरे पार्टनर (श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल) के नाम से है। हम दोनों Fisheries पार्टनर शीप नाम से मछली पालन का व्यवसाय करते हैं। मेरे पार्टनर के नाम से श्योदानपुरा बांध, जिला टोंक तथा अभयपुरा बांध जिला बुंदी में है। उपर्युक्त बांधों का क्रमशः 5,05,000, 12,12,212 तथा 8,88,888 रूपये है। पुरे प्रदेश में बांधों में मछली पालन के दौरान चट्टी जाल का भी उपयोग होता है जो कि राजस्थान मछली विभाग के पुराने नियमों के तहत प्रतिबंधित है। हमें उस जाल से मछली नहीं निकालने दिया जा रहा है बशर्ते उन्हें पुरे टेन्डर राशि का 10 प्रतिशत के रूप में दिया जाये। श्रीमान ये पुरा मछली विभाग जो कि लालकोठी जयपुर में अवस्थित है, गिरोह बना के रिश्वत मांग रहे हैं। नहीं देने की स्थिति में बांधों से मछली निकालने पर बांध का टेन्डर निरस्त करने का धमकी देते है। इसी क्रम में माह सितम्बर में जब मैं अपने बांध श्योदान पुरा में मछली निकालने का कार्य प्रारम्भ किया तो मत्स्य विकास अधिकारी श्री मदन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बंधे पर आये तथा बोले कि काम बंद कर दीजिए। काम पुनः प्रारम्भ करने से पुर्व निदेशक, मत्स्य जयपुर से मुलाकात करिये। मैं तत्काल दूसरे दिन जयपुर मतस्य कार्यालय पहुंचा। वहाँ श्री राकेश देव , सहायक निदेशक ने संयुक्त निदेशक लियाकत अली के पास ले गये। फिर दोनों श्री प्रेमसुख विश्नोई से मिलवाया। जहाँ पर निदेशक श्री प्रेमसुख विश्नोई ने उपरोक्त दोनों अधिकारिया से पुछा कि इनका बांध कितने का है। जवाब में मैंने ही कहा तीनों बांधों का कुल टेडर तकरीबन 25 लाख है। जिस पर श्री विश्नोई, निदेशक ने कहा कि आप पुरे बांध के टेण्डर राशि का 10 प्रतिशत अर्थात 2,50,000/-रूपये कैश दे दो। फिर छुट के चट्टी क्या कोई भी जाल से मछली निकालों। उपरोक्त किसी भी ऑफिसर/ व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत दूश्मनी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का उधार है। अतः श्रीमान से करबध प्रार्थना है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करें। हमारी जहां और जिस रूप में आवश्यकता होगी मैं हमेशा उपलब्ध रहुंगा। परिवादी को कार्यालय कक्ष में लाकर परिवादी से मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख से लिखा होना एवं स्वयं के हस्ताक्षर होना बताकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति की। तथा भ्रष्ट लोकसेवकों से कोई पुरानी रंजिश एवं उधार का लेने देन नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि श्री प्रेमसुख विश्नोई डायरेक्टर, मत्सय विभाग, को वह विश्नोई जी एवं डायरेक्टर साहब के नाम से सम्बोधित करता है। मामला रिश्वत लेनदेन का होने से सत्यापन रिश्वत मांग करवाना उचित प्रतीत होता है । मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि. 486 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बारे में बताया गया एवं कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मंगवा कर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में 32 जी.बी. का मेमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी व श्री मनीष सिंह कानि0 486 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधी समझाईस की गई। परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया की अभी कार्यालय का समय पुरा होने वाला है अगर मैं अभी रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु जाउंगा तो आरोपी लोकसेवकों के मिलने की संभावना कम है। अतः मैं कल दिनांक 09.01.2024 को दोपहर के समय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को दिनांक 09.01.2024 को कार्यालय में उपस्थित आने की कह कर गोपनीयता की हिदायत कर रूखस्त

किया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया।दिनांक 09.01.2024 को परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता के उपस्थित कार्यालय आने पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध लोकसेवकगण की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी से संदिग्ध लोकसेवक श्री राकेश देव के मोबाईल फोन पर व्हाट्सअप कॉल कर वार्ता करवाई गई, दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड चालू कर वार्ता रिकॉर्ड की गई। वार्ता में संदिग्ध लोकसेवक श्री राकेशदेव ने कहा कि ''आप आने वाले थे आये नहीं' तब परिवादी ने कहा कि ''मैं ऑफिस पहुॅचने वाला हूं'' तब संदिग्ध लोकसेवक श्री राकेशदेव ने कहा ''आ जाओ'' तब परिवादी ने कहा कि ''बॉस मिल जायेंगें क्या ?'' जिस पर संदिग्ध लोकसेवक श्री राकेशदेव ने कहा कि ''हां मिल जायेंगें.....आप किते बजे तक पहुंचेगें'' तब परिवादी ने कहा कि ''आधा पौने घण्टे में पहुंच जाऊंगा'' संदिग्ध लोकसेवक द्वारा परिवादी से आने पर कॉल करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन हेतु उपस्थित परिवादी तथा कानि0 श्री मनीष सिंह 486 को आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। कानि0 श्री मनीष सिंह 486 को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया।परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री राकेश देव के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता के मुताबिक परिवादी के साथ उसके निजी वाहन से संदिग्ध लोकसेवकगण के कार्यालय पहुंचने के लिये मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व श्री मनीष सिंह कानि. 486 के मय बन्द डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी के निजी वाहन से रवाना हुआ। ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होने के साथ ही परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि संदिग्ध लोकसेवकों द्वारा पूर्व में मुझसे मेरे काम के एवज में 2.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई है जिनके लिये मैं अभी पचास हजार रूपये साथ लेकर आया हूँ। अगर आज उनसे मिलकर मैंने उनको उक्त मांगी गई रिश्वत राशि में से कुछ रूपये नहीं दिये तो हो सकता है कि वह मेरा काम नहीं करेंगे तथा मुझ पर वह शक भी कर सकते है। इसलिये यह राशि मैं उनको देने के लिये लेकर आया हूं। मन् पुलिस निरीक्षक के कहने पर परिवादी ने गाडी कारखाना बॉयलर्स कार्यालय झालाना डूँगरी के सामने साईड लाईन पर रोकी। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय संदिग्ध लोकसेवकों को दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने स्वयं के पास रखे बैग में से 200-200 रूपये की एक फ्रेश गड्डी तथा पांच-पांच सौ रूपये के 60 खुले नोट गिनकर पेश किये। परिवादी ने बताया कि 200 रूपये के नोट की गड्डी में 100 नोट है तथा 60 नोट पांच-पांच सौ रूपये कुल राशि 50,000/- रूपये है। मन् पुलिस निरीक्षक व श्री मनीष कानि. 486 द्वारा उक्त नोटो को गिना तो कुल 50,000/- रूपये होना पाया गया। परिवादी द्वारा पेश दो-दो सौ रूपये के सौ नोट की एक गड्डी जिस पर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पी-6, सेक्टर-18 नोएडा, 201301 दिनांक 18.12.2023 की नीले रंग की पर्ची लगी हुई है। उक्त गड्डी तथा 60 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल राशि 50,000/- रूपये के नोटो को गाडी की सीट पर रखकर सरसरी तौर पर श्री मनीष सिंह, कानि. 486 के मोबाईल फोन से फोटोग्राफी करवायी गई। तत्पश्चात उक्त नोटों को परिवादी को पुनः सुपुर्द किया। परिवादी ने उक्त राशि पचास हजार रूपये को एक सफेद कागज में लपेटकर रबड़ डाल कर एक बण्डल तैयार कर संदिग्ध लोकसेवकों को देने के लिए अपने पास रख लिये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता एवं श्री मनीष सिंह कानि. के रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय मत्स्य विभाग, लालकोठी जयपुर को पुनः रवाना होकर कार्यालय मत्स्य विभाग, लालकोठी जयपुर की पार्किंग में पहुचकर गाडी पार्क की तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनीष सिंह कानि.486 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द करने तथा परिवादी के पीछे-पीछे उचित दूरी बनाकर संदिग्ध लोकसेवकगण के साथ परिवादी की होने वाली वार्ता को यथासम्भव गोपनीयता रखते हुए देखने व सुनने की हिदायत की गई। तत्पश्चात कानि0 श्री मनीष सिंह 486 ने अपने पास में सुरक्षित रखे विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया तथा परिवादी को संदिग्ध लोकसेवकगण से वार्ता करने हेतु रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे कानि0 श्री मनीष सिंह 486 भी रवाना हुआ।मन् पुलिस निरीक्षक भी परिवादी एवं श्री मनीष सिंह कानि. से उचित दूरी बनाते हुए मत्स्य विभाग के कार्यालय के आस-पास ही परिवादी व कानि. के वापस आने के इन्तजार में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ। समय करीब 3.00 बजे परिवादी ने मत्स्य कार्यालय से बाहर आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु हालात में मुझे सुपुर्द किया जिसे बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। साथ ही कानि. श्री मनीष सिंह न. 486 भी उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मैं कार्यालय मत्स्य विभाग में जाकर संदिग्ध अधिकारी श्री राकेशदेव से मिला तो उसने मुझे ज्वाइन्ट डायरेक्टर के रूम में बिठा दिया। मेरे पूछने पर श्री राकेश देव ने कहा कि डायरेक्टर साहब अभी आ रहे हैं। थोडी देर बाद डायरेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर फरियादियां को मिलवाने वाले कर्मचारी ने मोबाईल फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से वार्ता करने के लिए स्वयं का मोबाईल फोन मुझे दिया। उक्त मोबाईल फोन पर दूसरी तरफ श्री विजेन्द्र सिंह चैकिंग इन्सपेक्टर मत्स्य विभाग ने मुझसे बात की। उससे बातचीत करते हुए मैंने डायरेक्टर साहब विश्नोई जी द्वारा पूर्व में मीटिंग के दौरान उसके सामने दस परसेंट के रूप में मांगी गई राशि ज्यादा होने के बारे में कहा एवं पच्चीस हजार रूपये टोंक कार्यालय में देने के लिए रख दिया जाना बताते हुए उक्त पच्चीस हजार रूपये जोडते हुए कुल पच्चास हजार रूपये अभी देने के लिए कहा और इतनी ही राशि बाद में देने के लिए कहा। उक्त कर्मचारी कॉल समाप्त होने पर चला गया। थोडी देर बाद संदिग्ध अधिकारी श्री राकेशदेव ने स्वयं के मोबाईल फोन से मेरी श्री विजेन्द्र सिंह से बात करवायी। जिसने अपना मोबाईल नं. 9351438927 होना बताया तथा स्वयं के साथ पूर्व में हुई रिश्वत मांग वार्ता के क्रम में रिश्वत राशि श्री

राकेशदेव साहब को देने के लिए कहा। श्री राकेशदेव ने कहा की यहां आये हो तो 50 करके जाओ। संदिग्ध लोकसेवक श्री राकेश देव ने पच्चास हजार रूपये का बण्डल प्राप्त कर कहा कि मैं डायरेक्टर साहब को यह पच्चास हजार रूपये देकर बोल दूंगा की वो एक के लिये बोल रहे हैं पच्चास ये रहे और पच्चास हजार बाद में कर जायेगें एवं कहा कि मैं आपकी डायरेक्टर सर से मिटिंग करवा देता हूं, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में.....। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी द्वारा बतायी गई बातों की ताईद हुई। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध लोकसेवक श्री राकेशदेव ने मुझे निदेशक महोदय से मिलवाने हेतु कुछ समय बाद वापस बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी एवं श्री मनीष सिंह कानि.486 के कार्यालय मत्स्य विभाग लालकोठी जयपुर से रवाना होकर कार्यालय कारखाना बॉयलर्स के पास पहुंचे तथा कुछ समय बाद पुनः रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय कारखाना बॉयलर्स के पास से रवाना होकर कार्यालय मत्स्य विभाग लालकोठी, जयपुर के पास पहुचकर पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन में काम लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री मनीष कानि.486 द्वारा चालू कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को सुपुर्द कर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री मनीष सिंह कानि के कार्यालय मत्स्य विभाग लालकोठी, जयपुर के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम हुये। थोडी देर बाद परिवादी ने कार्यालय मत्स्य विभाग लालकोठी जयपुर से बाहर आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू हालात में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखा एवं परिवादी ने बताया कि मैं कार्यालय मत्स्य विभाग, लालकोठी जयपुर जाकर संदिग्ध अधिकारी श्री राकेशदेव से मिला तो कहा कि डायरेक्टर साहब मिलने के लिये मना कर रहे हैं तथा कहा कि आप मिलोगे क्या तब मैंने कहा जब मना ही कर रहें तो आप बताओ क्या करना है और क्या बोले। जिस पर संदिग्ध अधिकारी श्री राकेश देव ने कहा कि साहब ने कहा कि दो तो करने पड़ेंगे ऐसे थोड़ी होता है टाईम ले लो पैसा तो पूरा करो। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी एवं श्री मनीष सिंह कानि.486 के कार्यालय मत्स्य विभाग लालकोठी जयपुर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुंचे। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात परिवादी को संदिग्ध लोकसेवकों को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने की कहने पर परिवादी ने बताया कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है 2-3 दिन में जैसे ही मेरे पास संदिग्ध लोकसेवक को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था हो जायेगी मैं उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को मामले की गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब कर रूखस्त किया गया एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मेरी स्वयं की जैर निगरानी में सुरक्षित रखवाया गया। मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11.01.2024 को कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द करवाये गये। परिवादी ने जरिये दूरभाष मन् निरीक्षक पुलिस को बताया की रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो चुकी है। मैं दिनांक 12.01.2024 को आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात् दिनांक 12.01.2024 को परिवादी एंव पाबन्दशुदा गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय पत्रावली व डीवीआर के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय के झालाना डूंगरी नवीन कार्यालय भवन स्थित श्री हिमांशु जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी जयपुर नगर तृतीय के कार्यालय पहुंचकर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी का परिचय करवाते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के हालात् अवगत कराये। श्रीमान् द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पूर्व में संदिग्ध लोकसेवकगण के साथ हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो कि डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को सरसरी तौर पर चलाकर सुनाया गया। श्रीमान् द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित संदिग्ध लोकसेवक लायक अली एवं प्रेम सुख विश्नोई का रिश्वत मांग सत्यापन नहीं होने के कारण पुनः रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी को पूछने पर परिवादी ने उक्त संदिग्ध लोकसेवकगण का रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु तैयार होना बताया। जिस पर श्रीमान् द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अत्यन्त गोपनीयता बरतने की हिदायत करते हुए पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भेजे गये कानि. श्री मनीष सिंह न. 486 के अलावा एक अन्य सिपाही को परिवादी के निकट रहकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को देखने व सुनने के लिए भेजने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय् श्री मनीष कानि., श्री कमलेश कानि. न0 293 एवं परिवादी के मत्स्य विभाग, जयपुर के पास पहुंचे एवं श्री मनीष कानि द्वारा डीवीआर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी एवं श्री कमलेश कानि. को रवाना किया। थोडी देर बाद परिवादी व कानि. श्री कमलेश के मत्स्य कार्यालय से बाहर निकलने पर श्री कमलेश को डीवीआर बंद करने व गांधीनगर रोड पर रूकने के लिए कहा। जिसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय कानि. श्री मनीष न. 486 के तलबशुदा हाजिर सरकारी वाहन मय चालक के रवाना होकर गांधीनगर रोड पर जैन मन्दिर के पास खडे परिवादी के वाहन के पास पहुंचे। जहां कानि. कमलेश से डीवीआर बन्द हालात में प्राप्त किया। परिवादी ने पूछने पर बताया कि डायरेक्टर श्री प्रेम सुख विश्नोई से वार्ता के दौरान् एक अन्य व्यक्ति उपस्थित होने के कारण खुलकर वार्ता नहीं हो पायी। लेकिन मेरे द्वारा जब श्री प्रेम सुख विश्नोई को अमाण्उट को लेकर श्री राकेशदेव से बात होना कहा तो श्री प्रेमसुख विश्नोई ने सहमति जताई तथा मेरा पूरा सहयोग करने के लिए कहा है। इस पर श्री राकेशदेव से वापस मिलकर मैंने 2.00 लाख रूपये बहुत ज्यादा होना बताते हुए डायरेक्टर साहब से एक बार रिक्वेस्ट करने के लिए कहा तो श्री राकेशदेव ने मुझे डायरेक्टर साहब से वापस मिलवाया। मेरे द्वारा रिक्वेस्ट करने पर श्री प्रेमसुख ने कहा

कि आप श्री राकेशदेव से बात करो। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी के द्वारा बतायी गई वार्ता की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया कि मैंने छुट्टियां के बाद दिनांक 18.01.2024 को वापस आने के लिए श्री राकेशदेव को कहा है। इस पर हालात् श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराये एवं परिवादी को हमराह लेकर एसीबी कार्यालय पहुंचे, जहां श्री मनीष सिंह कानि 486 के द्वारा परिवादी द्वारा आरोपीगण को दिनांक 09.01.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दी जा चुकी रिश्वती राशि 50,000/-रूपये के फोटोग्राफ लिये गये थे जिनके फोटोग्राफ्स एवं फोटोग्राफ की डिटेल्स का स्वतंत्र गवाहान के समक्ष प्रिन्ट लिया जाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किये गये। स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 16.01.2024 से 20.01.2024 तक रूटीन सर्च कार्यवाही हेतु यूनिट हाजा के साथ पाबन्द रहने हेतु गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर परिवादी को रूकसत किया। चूंकि मन् पुलिस निरीक्षक राजकार्य से जोधपुर में होने के कारण परिवादी से सम्पर्क नहीं कर पाया था एवं परिवादी के द्वारा भी मुझसे सम्पर्क नहीं किया गया। परिवादी ने दिनांक 18.01.2024 को ब्यूरो मुख्यालय पर उपस्थित आने के लिए कहा था। इसलिए परिवादी से जरिये व्हाटसअप कॉल वार्ता कर दिनांक 19.01.2024 को ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित होने के लिए कहा गया तो परिवादी ने जरूरी कार्य होने से दिनांक 22.01.2024 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने के लिए कहा। परिवादी को दिनांक 22.01.2024 को आधे दिन का राजकीय अवकाश होने के बारे में बताया तो परिवादी ने दिनांक 22.01.2024 को दोपहर बाद ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होना बताया। हालात् उच्चाधिकारियां को निवेदन किये गये। दिनांक 19.01.2024 को सोशल मीडियां के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मत्स्य विभाग के निदेशक श्री प्रेमसुख विश्नोई एवं सहायक निदेशक श्री राकेशदेव के विरूद्ध एसीबी की ट्रेप कार्यवाही श्री हिमांशु जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की टीम द्वारा की जा चुकी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मोबाईल फोन पर वार्ता करने पर उक्त के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की पुष्टि की। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से व्हाटसअप कॉल पर संदिग्ध लोकसेवकगण के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही होने की जानकारी दी गई तथा परिवादी को अब ट्रेप कार्यवाही नहीं हो पाने की जानकारी देते हुए मांग सत्यापन वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट व सीडी बर्न कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई तो परिवादी ने कहा कि मैं दिनांक 22.01.2024 या दिनांक 23.01.2024 को एसीबी कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 09.01.2024 को परिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 50,000/- राशि श्री राकेश देव ने प्राप्त की थी, जिसके फोटोग्राफ श्री मनीष कानि. ने स्वयं के मोबाईल फोन से लिये थे। उक्त फोटोग्राफ जरिये व्हाट्सएप के श्री हिमांशु जी अति. पुलिस को भेजकर सर्च कार्यवाही के दौरान आरोपी लोकसेवकगण के घर/कार्यालय से बरामद होने की संभावना हेतु सुचित किया गया। चूंकि कार्यवाही की दिनांक 09.01.2024 एवं दिनांक 12.01.2024 को संदिग्ध आरोपीगण श्री प्रेमसुख विश्नोई व अन्य के साथ परिवादी की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में सुरक्षित है। उक्त वार्ताऐं अत्यधिक एवं लम्बी अवधि की हैं जिन्हें सुनकर तैयार करने में अत्यधिक समय लगने की संभावना होने के कारण उक्त वार्ताओं को सुनकर तैयार करने के लिये विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से सुरक्षित बाहर निकालकर विभागीय लैपटॉप से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ताओं की वार्ता रूपान्तरण मन् पुलिस निरीक्षक व श्री धर्मसिंह कानि. नं. 249 की मदद से तैयार करना शुरू किया गया। श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये व्हाट्स एप्प कॉल अवगत कराया गया कि श्री प्रेमसुख विश्नोई, आईएएस, निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के रिहायसी फ्लेट सं0 401, 402 गोल्डन हारमोनी अपार्टमेंट बापूनगर जयपुर की खाना तलासी के दौरान आपकी कार्यवाही में श्री राकेश देव द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 50,000/- रूपये में से 200 रूपये के नोटों की गड्डी जिसमें कुल 100 नोट है, जो बरामद हुई है। जिस पर संदिग्ध श्री प्रेमसुख विश्नोई के उक्त निवास स्थान की खाना तलासी के दौरान जब्त राशि की फर्द जब्ती की प्रति एवं जमा मालखाना रसीद की प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। दिनांक 23.01.2024 को परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आने पर परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता एवं स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाकर परिवादी की शिकायत से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़वाया गया। दोनों गवाहान को परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारीगण से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में हुई वार्ताओं को सरसरी तौर पर सुनाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी का प्रार्थना पत्र पढ़कर, वार्ताओं को सरसरी तौर पर सुनकर तथा परिवादी से बातचीत करके उसकी शिकायत से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की एवं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात परिवादी एवं दोनो गवाहान की उपस्थिति में रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ताओं के तैयारशुदा वार्ता रूपान्तरण को सुनाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.01.2024 को परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता व श्री राकेश देव के मध्य व्हाट्सएप कॉल, दिनांक 09.01.2024 को परिवादी व श्री राकेशदेव के मध्य आमने सामने वार्ता एवं आमने सामने वार्ता के दौरान श्री राकेशदेव व गोपाल जमादार के द्वारा मोबाईल फोन से परिवादी व विजेन्द्र सिंह के मध्य करवाई गई टेलीफोनिक वार्ता तथा दिनांक 12.01.2024 को परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता व आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई तथा परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता व श्री राकेशदेव के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताऐं, जो कि विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में सुरक्षित हैं।

उपरोक्त रिकॅार्ड वार्ताओं की पहचान परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता द्वारा की जाकर एक आवाज स्वयं की तथा अन्य आवाजें आरोपीगण श्री राकेश देव, श्री प्रेमसुख विश्नोई एवं श्री विजेन्द्र सिंह की होने की पहचान कर स्वीकार किया। उक्त रूपान्तरण वार्तालाप को परिवादी से पूछ-पूछकर सम्बंधित वॉईस क्लिपों से शब्द-ब-शब्द मिलान किया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप से जोड़कर उक्त रिकार्ड वार्ताओं की वाईस क्लिपों को बारी-बारी से छः अलग-अलग डीवीडीयों मे राईट/बर्न किया गया। वॉईस क्लिपों का डीवीडी में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर सभी छः डीवीडीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग डीवीडी मार्क A-1(न्यायालय प्रति) A-2 (अभियोजन प्रति) A-3 (आरोपी प्रति), A-4 (आरोपी प्रति) A-5 (आरोपी प्रति) मार्क A-6 (आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त डीवीडी में से पांच डीवीडी मार्क A-1, A-2, A-3, A-4 एवं मार्क A-5 को अलग-अलग प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डीवीडी अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। डीवीडी मार्क A-6 (आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे उक्त मेमोरी कार्ड, जिसमें उक्त सभी वार्ताओं की वॉयस क्लिप सेव है को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी पर टेप चिपकाकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडें की थेली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का ष्पैक्.1ष् अंकित किया गया। डीवीडी मार्क A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 एवं मार्का SD-1 को जमा मालखाना करवाया। अब तक की कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता द्वारा स्वयं एवं अपने पार्टनर श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल के नाम से राजस्थान सरकार से आवंटित जिला बूंदी स्थित इन्द्राणी बांध एवं श्योदानपुरा बांध, जिला टांक तथा अभयपुरा बांध जिला बून्दी में किये जा रहे मछली पालन के कार्य में मछली निकालने हेतु परिवादी द्वारा चट्टी जाल का प्रयोग किया जा रहा था। मछली निकालने हेतु चट्टी जाल अवैध/प्रतिबंधित होना बताया जाकर विभाग द्वारा चट्टी जाल से मछली निकालने से रोका गया। परिवादी द्वारा सम्बंधित अधिकारीगण से सम्पर्क करने पर परिवादी को प्रतिबंधित चट्टी जाल से मछली निकालने देने की एवज में श्री प्रेमसुख विश्नोई, डायरेक्टर, मत्स्य विभाग, लाल कोठी, जयपुर तथा श्री राकेश देव द्वारा टेण्डर राशिं के 10 प्रतिशत के हिसाब से 2.50 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना। उक्त मांग के क्रम में परिवादी की दिनांक 09.01.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह, निरीक्षक, मत्स्य विभाग के मध्य संदिग्ध श्री राकेश देव के मांबाईल फोन पर हुई वार्ता से संदिग्ध अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी के कार्य का बोध होकर प्रतिबंधित चट्टी जाल से मछली निकालने देने की एवज में परिवादी से स्वयं के लिये तथा अन्य संदिग्धान के लिये अनुचित लाभ की मांग करना तथा अन्य संदिग्धान श्री राकेश देव तथा श्री प्रेमसुख विश्नोई को अनुचित लाभ देने हेतु परिवादी से कहना पाया गया। इसी क्रम में संदिग्ध श्री राकेशदेव, सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर द्वारा परिवादी से स्वयं तथा श्री प्रेमसुख विश्नोई एवं श्री विजेन्द्र सिंह के लिये 50,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना पाया गया। उक्त राशि के सम्बंध में श्री राकेश देव द्वारा श्री प्रेमसुख विश्नोई से वार्ता करने के उपरान्त परिवादी को स्वयं व श्री प्रेमसुख विश्नोई से हुई वार्ता के सम्बंध में अवगत कराया कि जब मैंने सर को कहा ''सर देने आया है आ जायेंगे थोडा समय तो दिजिये यह बोला तो उन्होंने कहा कि दो तो करने पडेंगे यार ऐसे थोडे ही होता है टाईम ले लो पैसा तो पूरा करो'। इसी क्रम में दिनांक 12.01.2024 को परिवादी तथा श्री प्रेमसुख विश्नोई के मध्य हुई वार्ता में संदिग्ध अधिकारी श्री प्रेमसुख विश्नोई द्वारा परिवादी को अमाण्उट सम्बंधी वार्ता श्री राकेश देव से करने हेतु सहमति देकर श्री राकेश देव से वार्ता करने के लिये कहा गया। दिनांक 09.01.2024 को परिवादी तथा राकेश देव के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 12.01.2024 को परिवादी तथा श्री राकेश देव एवं परिवादी तथा श्री प्रेमसुख विश्नोई के मध्य हुई वार्ताओं से परिवादी से अनुचित लाभ प्राप्त करने के दुराशय से संदिग्ध अधिकारीगण श्री प्रेमसुख विश्नोई तथा श्री राकेश देव की अवैध रूप से मिलीभगत होना पाया गया तथा दिनांक 09.01.2024 को श्री राकेश देव व श्री गोपाल जमादार के मोबाईल फोन पर परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह के मध्य हुई वार्ता से श्री विजेन्द्र सिंह की आरोपी श्री राकेश देव से मिलीभगत होने के सम्बंध में श्री विजेन्द्र सिंह की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होना पाया गया है। इसी क्रम में दिनांक 09.01.2024 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संदिग्ध अधिकारी श्री राकेश देव द्वारा परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 50,000/- रूपये में से 200 रूपये के नोटों की गड्डी ब्यूरो की अन्य ट्रेप कार्यवाही के दौरान संदिग्ध अधिकारी श्री प्रेमसुख विश्नोई, आईएएस, निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर के रिहायसी फ्लेट सं0 401, 402 गोल्डन हारमोनी अपार्टमेंट बापूनगर जयपुर की खाना तलासी के दौरान बरामद की गई है, जिसमें 200 रूपये के कुल 100 नोट है। आरोपीगण के विरूद्ध ब्यूरो की अन्य ट्रेप कार्यवाही की फर्द जब्ती दिनांक 20.01.2024 में उल्लेखित नोटो के नम्बरों का तथा दिनांक 09.01.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से पूर्व रिश्वत राशि के लिये गये फोटोग्राफ्स में उल्लेखित नम्बरों का आपस में मिलान होना पाया गया हैं। उक्त फोटोग्राफस में 200 रूप्ये के नोट की गड्डी के प्रथम नोट के नम्बर 3EB713415 व अन्तिम नोट के नम्बर 3EB713563 हैं जो कि फर्द जब्ती में बरामद 200 रूपये नोटों की गड्डी के प्रथम व अन्तिम नोट से मिलान होना पाया गया है। दिनांक 09.01.2024 को परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता से आरोपी श्री राकेश

देव द्वारा प्राप्त 50,000/- रूपये रिश्वत राशि में शामिल उक्त 200 रूपये के सौ नोटों की गड्डी का ब्यूरो की अन्य ट्रेप कार्यवाही में दौराने खाना तलाशी श्री प्रेमसुख विश्नोई के रिहायसी मकान से बरामद होना भी दोनों आरोपीगण की मिलीभगत स्पष्ट करता है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री सूरज कुमार गुप्ता को राजस्थान सरकार से आवंटित डेम से प्रतिबधिंत चट्टी जाल से मछली निकालने देने की एवज में आरोपीगण श्री प्रेमसुख विश्नोई, आईएएस, निदेशक मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार तथा श्री राकेश देव, सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर द्वारा आपस में अवैध रूप से मिलीभगत कर 2 लाख 50,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ मांग कर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 2 लाख रूपये लेने पर सहमत होना तथा आरोपी श्री राकेश देव द्वारा स्वयं तथा अन्य आरोपीगण के लिये 50,000/- रूपये दौराने सत्यापन प्राप्त करना पाया गया। ब्यूरो की अन्य ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री प्रेमसुख विश्नोई के रिहायसी मकान से उक्त 50,000/- रूपये की रिश्वत राशि में से 20,000/- रूपये (200 रूपये के 100 नोटों की गड्डी) बरामद होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपीगण श्री प्रेमसुख विश्नोई एवं श्री राकेश देव का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा0द0सं0 में कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। संदिग्ध श्री विजेन्द्र सिंह, निरीक्षक मत्स्य विभाग की मामले में भूमिका संदिग्ध प्रतीत होने से उसकी संलिप्तता के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है। अतः आरोपीगण 1. श्री प्रेमसुख विश्नोई पुत्र श्री मोहन लाल विश्नोई उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर ई-35, खतुरिया कोलोनी, बीकानेर वर्तमान निवास फ्लेट नं0 401,402, सी-139, बापूनगर, जयपुर हाल निदेशक, निदेशालय मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर। 2. श्री राकेश देव पुत्र श्री हीरालाल देव जाति बैरवा उम्र 41 साल निवासी ग्राम राजपुर तहसील राजगढ जिला अलवर वर्तमान निवास मकान नम्बर 103/71, बीके टपरी, सेक्टर नं0 10, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर हाल सहायक निदेशक योजना अनुभाग, निदेशालय मत्स्य विभाग, जयपुर का धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने तथा श्री विजेन्द्र सिंह, फिल्डमैन (निरीक्षक), मत्स्य विभाग, मोबाईल नम्बर 9351438927 की अपराध में संलिप्तता के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।(रघुवीर शरण)पुलिस निरीक्षकविशेष अनुसंधान ईकाई,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री प्रेमसुख विश्नोई पुत्र श्री मोहन लाल विश्नोई हाल निदेशक, निदेशालय मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर एवं 2. श्री राकेश देव पुत्र श्री हीरालाल देव जाति बैरवा हाल सहायक निदेशक योजना अनुभाग, निदेशालय मत्स्य विभाग, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 22/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान श्री छोटीलाल मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो, जयपुर को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी की गई उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 87 पर अंकित है। (विशनाराम)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांकः-112-17 दिनांक 08.02.2024प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।2.अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार। 3.शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3/शिकायत) विभाग,राजस्थान, जयपुर।4.शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, जयपुर।5.उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।6.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/02/2024 19:13:25

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/12/1964				
2	Male	01/08/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)